विषयः– डीआईटीएस, हिसार के अधीन मेनपावर उपलब्ध करवाने हेतु आऊटसोर्सिंग एजेंसियों से ई–निविदा हेतु।

नियम एवं शर्तें :

1- EMD राशि के तौर पर 10000/– का बैंक ड्राफ्ट तथा ई–निविदा Document Cost के तौर पर 1000/– (Non Refundable) का बैंक ड्राफ्ट, "District Information Technology Society, Hisar" के नाम साथ संलग्न करना आवश्यक है दोनों बैंक ड्राफ्ट अलग–अलग होना आवश्यक है।

2. जिस फर्म के साथ अनुबंध किया जायेगा केवल उसी फर्म को 1 लाख रूपये जमा करवाये जाने आवश्यक है। जिसमें EMD के तौर पर ली गई राशि समायोजित कर ली जायेगी। यदि अनुबंधित फर्म 7 दिन के भीतर जमानत राशि जमा नहीं करवाती है तो उसके स्थान पर दूसरी फर्म (L2) के साथ अनुबंध कर लिया जायेगा। जोकि भविष्य में चयनित फर्म के अलावा सभी फर्मों से EMD के तौर पर ली गई राशि के बैंक ड्राफ्ट वापिस कर दिए जायेंगे तथा कमेटी द्वारा चयनित फर्म की जमानत राशि डीआईटीएस अकाऊंट में जमा करवा दी जायेगी जो कि निविदा की अवधी समाप्त होते ही बिना किसी ब्याज के वापिस लौटा दी जायेगी। (ड्राफ्ट की स्केनड कॉपी संलग्न करें।)

3- ई–निविदा सिर्फ ऑनलाईन के माध्यम द्वारा ही लिए जायेंगे। अन्य किसी माध्यम द्वारा भेजी गई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

4- सम्बन्धित कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रर्ड कार्यालय या शाखा हिसार में होना आवश्यक है।

5- कम्पनी का स्वयं का खाता होना आवश्यक है। कम्पनी/फर्म का इन्कम टैक्स एवं सर्विस टैक्स विभाग में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।

6- कम्पनी/फर्म का ESI एवं EPF खाता होना आवश्यक है।

7. केवल रजिस्टर्ड फर्म जिनके पास GST नम्बर हों तथा पिछले तीन वित्तों में फर्म का प्रति वित्तवर्ष टर्नओवर कम से कम 50 लाख रूपये या अधिक हों वही इस निविदा में हिस्सा ले सकता है। (प्रमाण संलग्न करें।)

8- फर्म/कम्पनी पिछले तीन वित्तवर्षों में से किसी भी दो वित्तवर्षों में सरकारी कार्यालय/बोर्ड/निगम में मेनपावर उपलब्ध करवाने प्रुफ (वर्क आर्डर की प्रति) तथा कार्य के सन्तोशजनक होने का सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र/अथवा पत्र साथ संलग्न करना आवश्यक है। (प्रमाण संलग्न करें)

9. प्रत्येक माह की 1 तारीख अथवा किसी भी परिस्थिति में 5 तारीख तक कर्मचारियों को मानदेय दिया जाना आवश्यक है। ऐसा ना होने की सूरत में कमेटी/सक्षम अधिकारी के पास अनुबन्ध निरस्त करने तथा जमानत राशि जब्त करने का अधिकार होगा। कर्मचारियों को मानदेय दिये जाने के बाद फर्म/कम्पनी को चैक से भुगतान किया जायेगा।

10. कर्मचारियों को निर्धारित मानदेय उपायुक्त महोदय द्वारा निर्धारित दर अथवा जिला सूचना प्रोद्यौगिकी समिति द्वारा निर्धारित दर अनुसार दिया जाना आवश्यक है। EPF एवं ESI राज्य सरकार/ भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों अनुसार काटा जाना आवश्यक हैं।

11. विभाग द्वारा दिए गए बिलों के अनुसार कर्मचारियों को मानदेय दिया जाना आवश्यक है। जिसमें से EPF एवं ESI की कटौती के अलावा अन्य कटौती किया जाना पाये जाने पर अनुबंध बिना किसी कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा।

12. प्रत्येक माह सैलरी रजिस्टर, ईपीफ एवं ईएसआई कटौती का ब्यौरे की प्रति अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में हार्ड कॉपी एवं ई–मेल के माध्यम से पहुंचाना आवश्यक है।

13. ई–निविदा में सभी रेट सभी प्रकार के कर सहित देना होगा।

14. अनुबंध उपायुक्त महोदय के अनुमोदन उपरान्त एक वर्ष के लिए होगा तथा सन्तोष जनक सेवाओं की स्थिति में सम्बन्धित फर्म की सहमति तथा कमेटी की सिफारिश पर उपायुक्त महोदय की अनुमति से आगामी एक वर्ष के लिए अथवा आगामी आदेशों तक बढ़ाया भी जा सकता है।

15. पर्चेज कमेटी के प्रधान निम्नलिखित अधिकार सुरक्षित रखते हैं :–

    क. किसी भी ई–निविदा अथवा सभी ई–निविदाओं को बिना किसी कारण बताये रिजेक्ट कर सकते हैं तथा सबसे कम रेट वाले के साथ अनुबंध करने हेतु भी बाध्य नहीं है।

    ख. अपरिहार्य परिस्थिति में तकनीकी एवं फाईनैंशियल बिड खुलने के उपरान्त भी डीआईटीएस, हिसार अनुबंध करने हेतु बाध्य नहीं होगी।

    ग. भविष्य में ई–निविदा पत्र अथवा सूची में किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकते हैं।

नोट : a. सभी नियम एवं शर्तें अतिआवश्यक है इनमें से कोई एक भी शर्त पूरी नहीं करने की अवस्था में कमेटी द्वारा Financial bid को नहीं खोला जायेगा।

b. सभी नियम एवं शर्तें ई–निविदा भरने के समय पूरी करना आवश्यक है, शर्तें पूरी ना करने पर उसी समय ई–निविदा कैंसल कर दी जायेगी जिसके लिए फर्म स्वयं जिम्मेवार होगी।

c. अनुबंध अवधी उपायुक्त महोदय के अनुमोदन उपरान्त एक वर्ष है।

c. किसी भी विवाद की स्थिति में उपायुक्त, हिसार का निर्णय मान्य होगा तथापि न्यायिक क्षेत्र हिसार मुख्यालय होगा।

उपरोक्तानुसार ई–निविदा आवेदन कर्ता हेतु चैकलिस्ट जो कि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से अपलोड की जानी आवश्यक हैः–

1. **बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी 1000 रूपये** Document Cost **तथा 10000 रूपये** EMD **राशि के तौर पर (ऑरिजनल इस कार्यालय में जमा करवायें।)**
2. **GST नम्बर की प्रति।**
3. **पिछले दो वित्तीय वर्षों की रिर्टन की प्रति।**
4. **पिछले दो वर्शों की वार्षिक टर्नऑवर की प्रति।**
5. **पिछले दो वर्षों में सरकारी कार्यालय/बोर्ड/निगम द्वारा जारी सन्तोषजनक कार्य का प्रमाण–पत्र।**
6. **लेबर डिपार्टमैंट से प्राप्त पंजीकरण की प्रति।**
7- **कम्पनी/फर्म का ESI एवं EPF खाते की प्रति।**